



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112020-222920
CG-DL-E-03112020-222920

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड(ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3489]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 2020/कार्तिक 12, 1942

No. 3489]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2020/KARTIKA 12, 1942

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2020

का.आ. 3953(अ).— केंद्रीय सरकार, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त दूसरी अनुसूची में, “पंजाब” शीर्षक के अधीन, क्रम सं. 30 ग के सामने “बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी” से संबंधित स्तंभ (2) के मद (i) में स्तंभ (4) में की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

1	2	3	4
			“(क) 15 नवम्बर, 2012 से दिसम्बर, 2020 तक यदि उन छात्रों को प्रदान की जाती है जिन्होंने इस अवधि के दौरान अनिवार्य इंटरनशिप प्रशिक्षण सहित पाठ्यक्रम निम्नलिखित कॉलेजों से पूरा कर लिया है, अर्थात्:- (i) लॉर्ड महावीर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, किचलू नगर, हैनीमेन रोड, लुधियाना;

			(ii) श्री गुरु नानक देव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, केनाल रोड, बरेवाल, निकट अयाली कलां, निकट पीएयू, लुधियाना; और (iii) होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, हुनमानगढ़ रोड, अबोहर। (ख) 15 नवम्बर, 2012 से जनवरी, 2020 तक, यदि उन छात्रों को प्रदान की जाती है जिन्होंने इस अवधि के दौरान कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल, जंडियाला रोड, जिला तरन तारन, अमृतसर से अनिवार्य इंटरनशिप प्रशिक्षण सहित पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है।”
--	--	--	--

[फा.सं. आर-13040/19/2012-एचडी (तक.)]

पी.एन.रणजीत कुमार, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण: होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की दूसरी अनुसूची का पहला संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3496, तारीख 11 अक्टूबर, 1977 के द्वारा और अंतिम संशोधन का.आ. संख्यांक 2389 (अ), तारीख 17 जुलाई, 2020 के द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY **NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd November, 2020

S.O. 3953(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Government, after consulting the Central Council of Homoeopathy, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely : -

In the said Second Schedule, under the heading “PUNJAB”, against serial number 30C, against item (i) in column (2) relating to “Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery”, for the entries in column (4), the following entries shall be substituted, namely:-

1	2	3	4
			“(a) From 15th November, 2012 to December, 2020, if awarded to the students who have completed the course including the compulsory internship training during this period from the following colleges, namely:- (i) Lord Mahavira Homoeopathic Medical College, Kitchlu Nagar, Hahnemann Road, Ludhiana; (ii) Shri Guru Nanak Dev Homoeopathic Medical College, Canal Road, Barewal, Near Ayali Kalan, Near PAU, Ludhiana; and (iii) Homoeopathic Medical College, Hanumangarh Road, Abohar. (b) From 15th November, 2012 to January, 2020, if awarded to the students who have completed the course including the compulsory internship training during this period from Kalyan Homoeopathic Medical College & Hospital, Jandiala Road, District Tarn Taran, Amritsar.”.

[F.No. R-13040/19/2012-HD(Tech)]

P.N.RANJIT KUMAR, Jt. Secy.

Foot note: - The Second Schedule to the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973) was first amended vide notification number S.O.3496, dated the 11th October, 1977 and last amended vide number S.O. 2389 (E), dated the 17th July, 2020.